Authoritative English Text of this Department notification No. LEP-A003/4/2023-Loose dated 08<sup>th</sup> January, 2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Labour Employment and Overseas Placement \*\*\*\*\*

No. LEP-A003/4/2023-Loose

Dated Shimla-171002 the

8<sup>th</sup> January, 2025.

#### **NOTIFICATION**

In exercise of powers conferred by section 40 and 62 read with section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the expert committee, constituted under section 5 of the said Act is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW, dated 4<sup>th</sup> December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8<sup>th</sup> December, 2008, namely:-

Short-title commencement.

- and 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment
  - Rules, 2025.
  - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**Insertion of New rule 303** 

- 2. In the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, (hereinafter referred to as the said rules) after rule 302 the following new rule shall be inserted, namely:-
  - "303 Mukhyamantri Widow/ Single/ Destitute/ Divyang Mahila Awas Yojna.- i) A registered eligible women worker of BOCW Welfare Board who is Widow/ Single/ Destitute/ Divyang and whose annual income is less than Rs. 2.50 lakh will be provided a

financial assistance of Rs. 3.00 Lakhs for constructing a house:

Provided that this assistance has not been availed under any other program/ scheme by her. The SOPs of the scheme i.e. 'Mukhyamantri Widow/ Single/ Destitute/ Divyang Mahila Awas Yojna' shall be as per Annexure-A.

Addition of Annexure A

**3.** In the said rules, after form XLVIII, the following shall be added, namely:-

Annexure-A

## MUKHYAMANTRI WIDOW, SINGLE, DESTITUTE AND DIVYANG WOMEN HOUSING SCHEME

#### 1. TITLE:

This scheme will be named as "Mukhyamantri Widow, Single, Destitute, and Divyang Women Housing Scheme"-2025. The scheme will be come into force in Himachal Pradesh from the date of issue of the notification by the State Government.

#### 2. **OBJECTIVE:**

The objective of the scheme is to provide financial assistance for construction of residential houses to widows, single, destitute, and divyang women registered with the H.P. Building and Other Construction Workers Welfare Board.

#### 3. **DEFINITIONS:**

- 1) "Schedule" means the Schedules attached with the scheme.
- 2) "Board" means the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board constituted under Section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service Act) 1996.
- 3) "Widow" means those women whose husband has died and she has not remarried.
- 4) "Single woman" means a woman (aged 40 years or above), whose husband has been missing for the last seven years, and she is unmarried, living separately from her husband or presently living with her parents.
- 5) "Destitute" means a woman (aged 40 years or above), who is not dependent on anyone and who is unmarried and not living with her parents.
- 6) "Referred Divyang Person" means a female registered beneficiary of Board

with not less than forty (40%) percent of specified disability, as certified by the Certifying Authority, where specified disability is not defined in the measurable terms and also includes women registered workers of Board with disability, where specified disability is defined in measurable terms, as certified by the Certifying Authority.

- 7) "Family" means parents, adult/minor sons, unmarried daughters whose names are registered in the family register (copy) along with the applicant and will come under the ambit of the family.
- 8) "Secretary-cum-Chief Executive Officer" means the Secretary-cum-Chief Executive Officer of the HPBOCW Board appointed under Section 19 of the Act.
- 9) **"Labour Welfare Officer"** means the Labour Welfare Officer of HPBOCW Board of the concerned District.
- 10) "Housing Assistance" means the assistance amount prescribed for construction of house to the eligible widow, single, destitute and divyang female beneficiary of HPBOCW Board.
- 11) "Membership" means such widow, single, destitute and divyang woman who is registered under Rule 266 of the Board under Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Service Conditions) Rules, 2008 and fulfills the conditions of this scheme, she will be eligible for "Mukhyamantri Widow, Single, Destitute and Divyang Women Housing Scheme".

## 4. ELIGIBILITY:

- 1) Such widow, single, destitute and divyang woman, who is registered with Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board as beneficiary and has worked for at least 90 days preceding last 12 months and has renewed the registration with the prescribed time period.
- 2) Those women beneficiary of Board who do not has a private house or have a kutcha house.
- 3) The annual income of such beneficiary should not exceed 2.50 lakhs per annum from all sources.
- 4) Those who own at least 02 biswa of land registered in the revenue records for construction of house or in whose favour land has been made available by the State Government.

5) The applicant will be entitled to avail the benefit of this scheme only once.

#### 5. ASSISTANCE AMOUNT:

Assistance amount of Three Lakhs (3.00 Lakhs) rupees will be payable for construction of house.

#### 6. APPLICATION AND APPROVAL PROCESS:

- 1) The registered beneficiaries will submit the application along with the supporting documents in the office of the concerned District/ Zone Labour Welfare Officer for financial assistance to construction of house.
- 2) It will be the responsibility of the District/ Zone Labour Welfare Officer of concerned district to forward the application / complete case to the Secretarycum- Chief Executive Officer of Board for approval and release of financial assistance after thorough investigation on application received from the beneficiary.
- 3) The District/ Zone Labour Welfare Officer will ensure to attach the following documents of the applicant with the application form:
  - a) The registered applicant will apply on **Annexure-1**.
  - b) To ensure and verify the copy / Certificates of Widow, Single,
    Destitute and Handicapped Woman issued by the Competent
    Authority.
  - c) Latest Annual Income Certificate issued by the Competent Authority.
  - d) The Certificate issued by the Competent Authority of Revenue Department on **Annexure-2** in favour of the applicant mentioning the ownership rights on the land where the house is to be constructed, including Jamabandi, Tatima etc.
  - e) No objection certificate issued by the Competent Authority of the Gram Panchayat Secretary / Urban Local Body that the applicant has not received assistance for housing construction from any other department, if received, then full details thereof.
  - f) The registered beneficiary will have to give an undertaking on the prescribed form Annexure-3 before release of amount of financial assistance.
  - g) Permanent resident Certificate issued by the Competent Authority.
  - h) Copy of Bank Account Passbook and copy of Aadhar Card.
  - i) Copy of the latest Parivar Nakkal.

- 4) The concerned District/Zone Labour Welfare Officer will prepare a register of all the applications of eligible persons in category-wise register on the prescribed form **Annexure-4** which shall contain the date of receipt of application on the right side of the application.
- 5) It will be the responsibility of the concerned District/ Zone Labour Welfare Officer to inspect the site of construction within 45 days from receipt of application and send the application alongwith his/her recommendation in original to the Secretary-cum-Chief Executive Officer for approval / release of financial assistance.
- On ineligible applications, the concerned District /Zone Labour Welfare Officer will make decision in writing and dispose the same at his level and will provide the detail thereof duly signed to the Secretary-cum-Chief Executive Officer of Board.

# 7. CONDITIONS FOR USE OF ASSISTANCE AMOUNT AND PAYMENT PROCESS:

- 1) The beneficiary will have to construct her house as per the approved map.
- 2) On completion of the roof work or continuation of house the beneficiary shall submit work completion certificate alongwith photo to the concerned District/Zone Labour Welfare Officer on **Annexure-5**.
- 3) The beneficiary will have to complete the house construction work within two years in heavy/ snowfall areas within 18 months in other areas from release of first instalment.
- 4) The house shall not be sold or transferred to anyone else's name till 25 (twenty five) years after the completion of the housing construction work by the beneficiary.
- 5) The sanctioned amount will be paid in four installments in the beneficiary's account as follows:

Phases	Installment	Installment Phase to be Completed
	Amount	
First Phase	Rs. 1 Lakh	on sanction
Second	Rs. 1 Lakh	on completion till lintel level
Phase		
Third Phase	Rs. 50,000	after physical check and before finishing
Fourth	Rs. 50,000	On completion
Phase		_

The Hon'ble Chief Minister will be authorized to issue the sanctions under the Scheme.

- The certificate of utilization of the above assistance alongwith photographs has to be submitted by the beneficiary to the concerned District/ Zone Labour Welfare Officer on Annexure-5. The concerned District/Zone Labour Welfare Officer on physical inspection shall forward inspection report alongwith other paper to the Secretary-cum- Chief Executive Officer of Board for release of subsequent installments.
- In case due to any reason, the beneficiary is unable to complete the construction work well in time, then the District/ Zone Labour Welfare Officer will forward an application for extension of the period in writing alongwith his recommendation to the Secretary-cum-Chief Executive Officer of Board, with justification, if any.
- 7) In case the beneficiary is unable to construct the house, in time bound manner in such a case, the amount already released by the Board will have to be returned to the Board.
- 8) In case of misuse of assistance amount by the beneficiary, the amount released will be recovered along with interest. Further non-return of the amount of assistance, the entire amount will be recovered from the beneficiary or her legal heirs through revenue collections. Where recovery is not possible, the Secretary-cum-Chief Executive Officer in consultation with the approval of the Board of Directors shall write off the amount paid in accordance with the provisions process the case for the financial rules.
- 9) It will be mandatory for the beneficiary to inform on each stage of construction to the District / Zone Labour Welfare Officer's office on Geo-Tagging to process of subsequent instalments under the scheme.

#### 8. INSPECTION:

- 1) If the beneficiary does not start the construction of the house within six months from the approval / sanction of financial assistance then the approval already accorded will be cancelled.
- 2) It will be the responsibility of the concerned District/ Zone Labour Welfare Officer to inspect the site of construction work being done by the beneficiary well in time and to get the construction work completed within the stipulated time period. If the construction work is not started and completed by the beneficiary, then it will be necessary to issue at least three notices to the

- beneficiary by the concerned Labour Welfare Officer.
- 3) The District/ Zone Labour Welfare Officer will have to personally inspect all the construction work against all the sanctioned cases in each financial year it shall be ensured that the assistance amount has been utilized for the same purpose for which it was sanctioned to the beneficiary as per rules.
- 4) Within 30 days from receiving the progress report of the construction work from the beneficiary, the District /Zone Labour Welfare Officer will have to inspect the house construction work, the completion certificate etc. shall be forwarded to the Secretary-cum-Chief Executive Officer of the Board

#### 9. MAINTENANCE OF RECORDS:

For effective monitoring of all approved cases, the District/ Zone Labour Welfare Officer shall maintain a register in the prescribed form **Annexure-6** as well as in digital form.

## **10. AUDIT:**

The expenditure incurred under this scheme will be audited by the Accounts Team from the Principal Accountant General, Himachal Pradesh.

#### 11. ATTACHED DOCUMENTS

- 1. Widow, Single, Destitute, and divyang Woman Certificate.
- 2. Annual Income Certificate.
- 3. Jamabandi, Tatima Certificate.
- 4. No Objection Certificate issued by Panchayat Secretary / Urban Local Body.
- 5. Undertaking of Beneficiary.
- 6. Permanent Resident Certificate.
- 7. Copy of Bank Account Passbook.
- 8. Copy of Aadhar Card.
- 9. Copy of the latest Family Register/ Parivar Nakkal.

## Annexure-1

# Application for Mukhyamantri Widow, Single, Destitute, and Divyang Women Housing Scheme

1	Name of Applicant	:						
2	Father's/ Husband's	:						
	Name							
3	Registration No. and	:						
	Date							
4	Age of Applicant	:						
	Aadhaar Card No.							
	Name of the Bank							
_	and it's Branch							
	Name							
7								
	IFSC Code No.							
	Permanent Home							
9	Address of the		•••••	•••••		•••••		
	Beneficiary		Dogt	- ff: ·			т	1:1.
	Village:							hsil:
	D1 1							
1.0	Block					:	•••••	•••••
	Annual Income of the							
	Number of Dependent							
12	(A) Have yo	ou an	ıy A	ccommod	lation,	if y	res,	give
	details							
	•••••				•••••			
	(B) If yes, given	e brief	reasons.	why v	you want	to build	d a sec	cond
	house							0110
								41
	(C) Do you certify		•		•			
	grant money							
	(D) If the benefici	ary has reco	eived gran	t amount i	for housing t	inder other	r schemes	also
	or has	applied	for	grant	amount,	then	give	the
	details			-			_	
12	Do you commit to co							wi o d
13	•	-						
1.4	under the scheme:							
14	Do you undertake				-	guideline	s under	tne
1.5	rules?					1 .	C	
15	Do you give an undert	•				•		only
	on construction of hou							
	I certify that the above		on is corre	ect to the b	pest of my ki	nowledge	and belief	and
	nothing has been conce				_			
	Date:		Sig	nature of t	the Applicant	t		

## List of desired documents alongwith application form

- A) Widow, single, destitute and disabled women certificate issued by the competent authority.
- B) Annual income certificate issued by the competent authority.
- C) Cerfificate issued by the competent authority as per Annexure-2 regarding the ownership rights of the applicant over the land on which the house is to be constructed.
- D) No objection certificate issued by the Panchayat Secretary/ Urban Bodies that the applicant has not received assistance to construct house from any other department.
- E) Permanent resident certificate of Himachal Pradesh, issued by the competent authority.
- F) Copy of Aadhaar Card.
- G) Copy of bank account passbook
- H) Undertaking

## **Verification Report**

It i	s certified that Smt Daughter/ Widow
of	Registration No is a
per	manent resident of Village/Town Post
off	icePanchayat
De	velopment Block
	nsil District
Sta	te and this is also certified that:-
1.	The spot inspection of the applicant's residence has been done by the undersigned
	on The applicant has an old brick built/ kacha house of
	room(s) having floor(s).
2.	If the applicant's house has been destroyed due to natural calamity, then give
	complete details including the report of the Revenue
	Officer
3.	As per revenue record, total bigha/ biswa land is available
	in the name of the applicant.
4.	The applicant's husband has died and she has not remarried.
5.	The applicant is a single woman.
6.	The disability of the applicant has been certified by the District Medical Board
7	as percent.  The annual income of the annicent from all sources is Be (in
7.	The annual income of the applicant from all sources is Rs. (in figures)
	issued by the Revenue Department is attached).
8.	Has the applicant previously received grant money for construction of house
0.	under other schemes? If yes, give complete details:-
	gradient company of the property of the proper
In view of	The above, the applicant is eligible non-eligible for the grant amount under the
Mukhyama	antri Widow, Single, Destitute, and Divyang Women Housing Scheme. The
application	is recommended to be accepted/rejected

Labour Welfare Officer (with stamp and date)

# Annexure-2 Will be issued by the Revenue Department

Office				•		•	nPost
State	Office						
Sr. No.	Applicant Name	Mauza/Mauhal			Total Share of the	Details of any loan against the concerned	Remarks

Sr. No.	Applicant Name	Mauza/Mauhal	Total Land	Khasra No.On which the residence is to be built	Total Share of the Applicant in the concerned Khasra No.	Details of any loan against the concerned Khasra No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Date	Halka Patwari
	with stamp and signature
Verification:	

Tehsildar/Naib Tehsildar with stamp

# Annexure-3 (Undertaking)

# <u>Chief Minister Widow, Single, Destitute, and Disabled Women's Housing Scheme</u>

	I, Daughter/Widow Registration  er Village Post						
Tehsil							
1.	I have applied for housing under the Chief Minister Widow, Single, Destitute, and Disabled Women's Housing Scheme to the District Labour Welfare Officer						
2.							
3.	If I, fail to use the grant for the intended purpose in accordance with the scheme's rules, I undertake to immediately repay the sanctioned amount along with applicable interest to the government. If I am unable to repay the grant amount, the Board may recover the amount along with 5% interest as per the applicable rules and laws.						
	Beneficiary (Undertaker) Signature						
	<u>Verification</u>						
kno	I verify that the details provided in this undertaking are true to the best of my owledge, and I have not concealed any information.						
	Verified today onat						

Beneficiary (Undertaker) Signature

# Annexure-4 Register of application forms of persons received for grant for Chief Minister widow Single Destitute and Disabled Women Housing Scheme

Date of receipt of application	Serial number	Name and address of the applicant	Registration number	Panchayat	Development block	Applicant's annual income	Case approval number/date /amount	Specifications if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Annexure-5 Work Completion Certificate under Housing Construction Scheme

	f Registration Number
E .	oment Block Tehsil
	hereby certify that I was
	in words) only for construction of house from
	in the year
I have completed the house construction we	ork on Khasra number as mentioned in the
	t up to
request you to kindly release the	(First/Second/Third/Fourth) installment.
Signature of the Beneficiary	
Inspectio	on Report
It is certified that Smt.	(Daughter/Widow) of
	. Village Dr.
	Development Block
	State was sanctioned an
	s a grant for construction of house by the Board
•	spected the site of Smt on date completed the construction work of the house
	ngle Women, Destitute and Disabled Women
	level. Therefore, I request you to kindly
release the (First/Second/Third/I	Fourth) installment of Rs.
	Labor Welfare Officer (With Seal)
Page Number	Date
Executive Officer for service, and it is (Daughter/Widow) of Re	ificate has been sent to the Secretary and Chief requested that Smt.
Development Block Tehsi	l District State First/Second/Third/Fourth) installment of Rs.
	,

Labor Welfare Officer (With Seal)

Annexure-6
Register of cases approved under Mukhyamantri Widow, Single, Destitute, and Divyang Women Housing Scheme

Approval	Name of	Applicant's	Total	Date and	Signature	Date and	Signature of	Date an	d Signature	of
No. with	Applicant	Bank	approved	amount of	of	amount of	District	amount o	f District	Labour
date	and	Account	amount	release of	District	release of	Labour	release o	f   Welfare O	fficer
	Address	No. and		first	Labour	second	Welfare	third		
		name of		installment	Welfare	installment	Officer	installment o	f	
		bank		of grant.	Officer	of grant.		grant.		
		branch								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Date and amount of	Signature of	Total amount of	Signature of	Remarks
release of fourth	District Labour	grant released	District Labour	
installment of grant.	Welfare Officer		Welfare Officer	
11	12	13	14	15

By order,

Secretary (LE & OP) to the Government of Himachal Pradesh.

\*\*\*\*

## हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

\*\*\*

संख्या एल.इ.पी-ए००३/4/2023-लूज़ दिनांक

शिमला—171002,

08 जनवरी, 2025

अधिसूचना

2.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सिन्नामीण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 के साथ पिठत धारा 40 और 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित विशेषज्ञ सिमित के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—6/2007—बी.ओ.सी.डब्ल्यू तारीख 04 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सिन्नामीण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) संशोधन नियम. 2025 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 303 का अन्तःस्थापन।

हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 302 के पश्चात् निम्निलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "303. मुख्यमन्त्री विधवा/एकल/निराश्रित/ दिव्यांग मिहला आवास योजनाः— (i) हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रिजस्ट्रीकृत पात्र महिला कर्मकार जो विधवा/एकल/निराश्रित/ दिव्यांग महिला हो और जिसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम हो को आवास सिन्नर्माण हेतु 3.00 (तीन लाख) रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगीः

परन्तु यह सहायता उसके द्वारा किसी अन्य योजना/ स्कीम के अधीन नहीं ली गई हो। स्कीम अर्थात् मुख्यमन्त्री विधवा/एकल/निराश्रित/ दिव्यांग महिला आवास योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) उपाबन्ध—'क' के अनुसार होगी। 3. उक्त नियमों में फॉर्म XLVIII के उपरान्त निम्तलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः :--

उपाबन्ध क

## "मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिला आवास योजना"

## 1. शीर्षकः

यह योजना "मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित, एवम् दिव्यांग महिला आवास योजना"—2025 कहलायेगी। योजना हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी।

## 2. उद्देश्यः

योजना का उद्देश्य–हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सिन्नामीण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत विधवाओं, एकल, निराश्रित, एवम् दिव्यांग महिलाओं को आवास निर्माण के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करना है।

## 3. परिभाषाएं:

- 1) "अनुबन्ध" से अभिप्राय योजना के साथ संलग्न अनुबन्धों से है।
- 2) "बोर्ड" से अभिप्राय भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ते अधिनियम) 1996 की धारा 18 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सिन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से है।
- 3) "विधवा" से अभिप्राय जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा पुर्नविवाह नहीं किया है।
- 4) "एकल नारी" से अभिप्राय, (40 वर्ष या अधिक आयु की महिला), जिनके पित गत सात वर्ष से लापता हो, जो अविवाहित हो, अपने पित से अलग रह रही हो अथवा जो वर्तमान में अपने माता—पिता के साथ रह रही हो।
- 5) "निराश्रित" से अभिप्राय (40 वर्ष या अधिक आयु की महिला), जो किसी पर भी आश्रित न हो और जो अविवाहित और माता—पिता के साथ भी न रहती हो।
- 6) "संदर्भित दिव्यांगजन" से अभिप्राय, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अध्युपायी निबंधनों में पिरभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सिम्मिलत है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्युपायी निबंधनों में पिरभाषित की गई है।
- 7) "परिवार" से अभिप्राय माता—पिता, वयस्क / अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ जिनका नाम परिवार रिजस्टर (नकल) में आवेदक के साथ दर्ज हो परिवार की परिधि में आएंगे।
- 8) "सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी से है।
- 9) "श्रम कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित जिला के श्रम कल्याण अधिकारी से है।
- 10) **''आवास अनुदान''** से अभिप्राय पात्र विधवा, एकल, निराश्रित, एवम् दिव्यांग महिला को आवास

निर्माण हेत् निर्धारित सहायता राशि से है।

(सदस्यता'' से अभिप्राय ऐसी विधवा, एकल, निराश्रित, एवम् दिव्यांग महिला जो बोर्ड के नियम 266 हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) नियम, 2008 के तहत पंजीकृत हो, इस योजना की शर्ते पूरी करती हो वह "मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित, एवम् दिव्यांग महिला आवास योजना'' के लिए पात्र होगी।

## 4. पात्रताः

- 1) ऐसी विधवा, एकल, निराश्रित, एवम् दिव्यांग महिला, जो हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सिन्नामीण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो और जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक कार्यदिवस कार्य किया हो और समय—समय पर पंजीकरण का नवीनीकरण किया हो।
- 2) जिनके पास निजी आवास न हो अथवा कच्चा मकान हो।
- 3) लाभार्थी की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 2.50 लाख से अधिक न हो।
- 4) जिनके पास आवास निर्माण के लिए राजस्व अभिलेख में कम से कम 02 बिस्वा भूमि दर्ज हो अथवा जिनके पक्ष में सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गई हो।
- 5) प्रार्थी को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही देय होगा।

## 5. सहायता राशीः

आवास निर्माण के लिए तीन लाख (3.00 लाख) रूपये की सहायता राशि देय होगी।

## 6. आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रियाः

- 1) पंजीकृत लाभार्थी आवास निर्माण सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- 2) जिला श्रम कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त आवेदन की पूर्ण जांच करने के उपरान्त स्वीकृति / अदायगी हेतु सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगें।
- 3) जिला श्रम कल्याण अधिकारी प्रार्थना पत्र के साथ आवेदिका के निम्नलिखित मूल दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे:—
- क) पंजीकृत आवेदिका अनुबन्ध-1 पर आवेदन करेगी।
- ख) विधवा, एकल, निराश्रित, एवम् दिव्यांग नारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की सत्यापित प्रति।
- ग) नवीनतम वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- घ) जिस भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है, उस पर आवेदिका का मालिकाना हक होने बारे में जमाबन्दी, ततीमा सहित राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध—2 पर जारी प्रमाण पत्र।
- ङ) पंचायत सचिव / शहरी स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कि आवेदिका द्वारा किसी अन्य विभाग से आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है, यदि

- प्राप्त की गई है तो उसका पूरा विवरण।
- च) पंजीकृत लाभार्थी को अनुदान राशि की अदायगी से पूर्व निर्धारित प्रपत्र **अनुबन्ध—3** पर वचनबद्धता देनी होगी।
- छ) स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- ज) बैंक खाता पासबुक की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति।
- झ) नवीनतम परिवार रजिस्टर की प्रति।
- 4) सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी, पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों को अपने कार्यालय में श्रेणीवार एक रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध—4 पर प्राप्त तिथि अनुसार दर्ज करेंगे तथा प्रार्थना पत्र के ऊपर दांई तरफ रजिस्टर का क्रमांक तथा प्राप्ति की तिथि अंकित करेंगे।
- 5) सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह पात्र व्यक्तियों / लाभार्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर 45 दिन के भीतर मौके का निरीक्षण कर प्रार्थना पत्र को अपनी संस्तुति सहित मूलरूप से स्वीकृति / अदायगी हेतु सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- 6) अयोग्य आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित श्रम कल्याण अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय लेकर दस्ती कर सूचना सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को भेजेंगे।

## 7. सहायता राशी के उपभोग की शर्ते तथा भुगतान की प्रक्रियाः

- 1) लाभार्थी को अनुमोदित नक्शे अनुसार ही अपने आवास का निर्माण करना होगा।
- 2) लाभार्थी द्वारा अपने आवास के छत का कार्य पूर्ण करने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फोटो सहित अनुबन्ध—5 पर सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
- 3) लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण का कार्य भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में अनुदान की प्रथम किश्त की तिथि से दो वर्ष के भीतर व अन्य क्षेत्रों में 18 महीनों के भीतर पूर्ण करना होगा।
- 4) लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण कार्य के पूर्ण होने के 25 (पच्चीस) वर्ष तक मकान को बेचा नहीं जाएगा अथवा किसी अन्य के नाम पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
- 5) पात्र लाभार्थी के खाते में मु० 3 लाख स्वीकृत राशि का भुगतान चार किश्तों में निम्नानुसार किया जायेगाः

चरण	किश्त राशि	चरण जिन्हें पूरा किया जाना है
प्रथम चरण	मु0 1 लाख	स्वीकृति पर (on sanction)
द्वितीय चरण	मु0 1 लाख	सरदल स्तर तक पूरा होने तक (on completion till
		lintel level)
तृतीय चरण	मु० 50,000	भौतिक जांच के बाद और समापन से पहले (after
		physical check and before finishing)
चौथा चरण	मु० 50,000	पूर्ण होन पर (On completion)
ट्या गोजना के	शन्तर्गत स्त्रीकृतियां स	ारी करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री हिए एए अधिकत

इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री, हि0 प्र0, अधिकृत होंगे। उपरोक्त राशि का उपभोग प्रमाण पत्र लाभार्थी द्वारा फोटो सहित अनुबन्ध—5 पर सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा निरिक्षण रिपोर्ट सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आगामी किश्त जारी करने हेतु प्रेषित करना होगा तथा राशि स्वीकृत होने की सूचना प्रार्थी को पत्र द्वारा भी दी जाएगी।

- 6) यदि किन्हीं कारणों से लाभार्थी आवास निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे मामले में लिखित रूप में अविध बढ़ाने का प्रार्थना पत्र औचित्य स्पष्ट करते हुए जिला श्रम कल्याण अधिकारी अपनी संस्तुती सहित सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा।
- 7) यदि लाभार्थी आवास निर्माण करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे मामले में बोर्ड द्वारा जारी की गई राशी को वापिस करना होगा।
- 8) लाभार्थी द्वारा सहायता राशि के दुरूपयोग करने के मामले में जारी की गई राशि की वसूली ब्याज सिंहत की जाएगी। राशि वापिस न करने की दशा में पूर्ण राशि लाभार्थी अथवा उसके कानूनी वारिसों से राजस्व वसूलियों के माध्यम से वसूल की जाएगी। जिन मामलों में वसूली सम्भव न हो, ऐसे मामलों में अदा की गई राशि को वित्तीय नियमों के प्रावधान के अनुरूप बट्टे—खाते में डालने के लिए "बोर्ड" के अनुमोदन से सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- 9) लाभार्थी को प्रत्येक चरण के पूर्ण होने पर Geo-Tagging हेतु जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में जानकारी देनी अनिवार्य होगी ताकि आगामी किश्तों की कार्यवाही की जा सके।

## 8. निरीक्षणः

- 1) यदि लाभार्थी मकान स्वीकृत होने की तिथि से छः माह के भीतर घर निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं करता है तो घर निर्माण की स्वीकृती रद्द की जायेगी।
- 2) जिला श्रम कल्याण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह समय—समय पर लाभार्थी द्वारा किए जा रहे आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण करें तथा निर्धारित समयाविध के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करवाएं। यदि लाभार्थी द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ व पूर्ण नही किया जाता है तो उसे कम से कम तीन नोटिस जारी करना आवश्यक होगा।
- 3) जिला श्रम कल्याण अधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल स्वीकृत मामलों के सभी आवास निर्माण मामलों में स्वयं निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करना होगा कि सहायता राशि जिस उद्देश्य के लिए लाभार्थी को स्वीकृत हुई थी उसी उद्देश्य के लिए सहायता राशि का उपयोग नियमों के अन्तर्गत किया गया है।
- 4) लाभार्थी से आवास निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जिला श्रम कल्याण अधिकारी को लाभार्थी के आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण करके कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

## 9. अभिलेख का रख-रखावः

जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में स्वीकृत मामलों के अनुश्रवण के लिए एक रजिस्टर में

निर्धारित प्रपत्र **अनुबन्ध—6** पर रख—रखाव करना होगा तथा डिजिटल माध्यम से भी उक्त का अभिलेख रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

## 10. लेखा-परीक्षाः

इस योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय की लेखा—परीक्षा महालेखाकार (लेखा) हि0 प्र0 के लेखादल द्वारा किया जाएगा।

## 11. संलग्न दस्तावेज

- 1. विधवा, एकल, निराश्रित, एवम् दिव्यांग महिला प्रमाण पत्र।
- 2. वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- जमाबन्दी, ततीमा प्रमाण पत्र।
- 4. पंचायत सचिव / शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 5. वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
- 6. स्थाई निवासी प्रमाण पत्र।
- 7. बैंक खाता पासबुक की प्रति।
- 8. आधार कार्ड की प्रति।
- 9. नवीनतम परिवार रजिस्टर की प्रति।

## अनुबन्ध—1 मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिला आवास योजना के लिए प्रार्थना पत्र।

1.	आवेदिका का नाम	:	
2.	पिता / पति का नाम	:	
3.	पंजीकृत संख्या व तिथि	:	
4.	आवेदिका की आयु	:	
5.	आधार संख्या	:	
6.	बैंक व शाखा का नाम	:	
7.	खाता संख्या	:	
8.	आई.एफ.एस.सी .कोड	:	
9.	आवेदिका का पूरा पता	:	
	गांवडा०		तहसीलपंचायत
	विकासखंड		जिलाराज्य
10. 11.	समस्त साधनों से आवेदिक के आश्रितों की संख्या	परिवार व :	की वार्षिक आयः
12.	(क) क्या आपके पास कोई	आवास है	है। यदि है तो विवरण दें।
	(ग) क्या आप प्रमाणित करते	हैं कि जि	बताएं कि आप दूसरा मकान क्यों बनाना चाहते हैं।  ।स आवास का निर्माण आप अनुदान की राशि से करेंगे
	(घ) यदि लाभार्थी द्वारा अन्य य	गोजनाओं	के अन्तर्गत भी आवास हेतु अनुदान राशि की प्राप्त की वेदन किया है तो विवरण दें :
13.	क्या आप योजना के अन्तर्गत वचन देते हैं:		अवधि के भीतर आवास का निर्माण कार्य पूर्ण करने का
14.	क्या आप नियमों के अधीन दिश	शा—निर्देषे	ों के अनुसार आवास बनाने का वचन देते हैं? 
15.	क्या आप वचनबद्धता देते हैं वि	<sub>ज्यापके</sub>	हित में स्वीकृत राशि केवल आवास निर्माण पर ही व्यय
छिपाया			वना मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सही है तथा कुछ भी
तिथि :			आवेदिका के हस्ताक्षर

## प्रार्थना पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की सूची

- क) विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिलाप्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी से जारी हो।
- ख) वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी से जारी हो।
- ग) जिस भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है, उस पर आवेदिका का मालिकाना हक होने बारे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध—2 पर जारी प्रमाण पत्र।
- घ) पंचायत सचिव / शहरी निकायों द्वारा जारी अनापित प्रमाण पत्र कि आवेदिका द्वारा किसी अन्य विभाग से आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है।
- ङ) हिमाचल का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी से जारी हो।
- च) आधार कार्ड की प्रति।
- छ) बैंक खाता पासबुक की प्रति ।
- ज) वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

## सत्यापन रिपोर्ट

	प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतीसुपुत्री / विधवासुपुत्री / विधवा
, प	iजीकरण संख्यागांव/शहर <sup>ँ</sup> गांव/शहर <sup>ँ</sup>
डाकघर	ंवकासखंडतहसीलतहसील
जिला .	राज्यराज्य की स्थाई निवासी है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :
1.	प्रार्थी के आवास का मौकानिरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांकको किया गया है। प्रार्थी के पासकमरे कामंजिलामंजिलापक्का/कच्चा पुराना मकान है।
2.	यदि प्रार्थी का आवास प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुआ है तो राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट सहित पूर्ण ब्यौरा दें :
3.	प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार कुलबीघा / बिस्वा भूमि उपलब्ध है।
4.	प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा पुर्नविवाह नहीं किया है।
5.	प्रार्थी एकल नारी है।
6.	प्रार्थी की दिव्यांगता जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारापितशत प्रमाणित की गई है।
7.	प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आयरूपए अंकों में (रूपए अंकों में (रूपए अंकों में (रूपए शब्दों में) है। (राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)।
8.	क्या प्रार्थी द्वारा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि प्राप्त की गई है यदि हाँ तो पूर्ण ब्यौरा दें :
	उक्त के दृष्टिगत प्रार्थी मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिला आवास योजनाके अन्तर्गत अनुदान राशि हेतु पात्र/अपात्र है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत /रद्द करने हेतु सिफाारिश की जाती है।

श्रम कल्याण अधिकारी (मोहर व तिथि सहित)

# अनुबन्ध—2 राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा

	प्रमाणित किया	जाता है कि श्री	<mark>।</mark> मती	सुपुत्री / विधवा	डाकघ	<b>बर</b>	
						नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर	
निम्ना	नुसार है:–						
क्र. स.	आवेदिका का नाम	मौजा / मौहाल	कुल भूमि	खसरा न0 जिस पर आवास बनाया जाना		खसरा न0 पर यदि कोई ऋण लिया गया है तो ब्यौरा	टिप्पणी
1	2	3	4	きl 5	6	7	8
दिनांव	<b>क</b> :						

$\sim$ .	
टिनाक	
ICHID	
1 2 11 15	***************************************

हस्ताक्षर हल्का पटवारी मोहर सहित

सत्यापन :

तहसीलदार / नायब तहसीलदार मोहर सहित

## अनुबन्ध—3 (वचनबद्वता)

## मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिला आवास योजना

गांव तहसील	मैंपुत्री / विधवापंजीकरण संख्याविकासखंड डा. पंचायत विकासखंड विकासखंड जिला राज्य (लाभार्थी) वचन देती हूँ कि :-
1.	मैंने जिला श्रम कल्याण अधिकारी
2.	मैं, मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिला आवास योजना के अन्तर्गत नियमों / शर्तों के अनुसार स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग समयाविध में उस प्रयोजन, के लिए करूंगी जिसके लिए यह अनुदान स्वीकृत किया गया है।
3.	मैं, यदि मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिला आवास योजनाके अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान का सदुपयोग नियमानुसार करने में विफल रहती हूँ तो, मैं भुगतान की गई राशि को प्रचलित ब्याज दर सिहत सरकार को तुरन्त जमा करवाने का वचन देती हूँ तथा यदि मैं अनुदान राशि देने में असमर्थ रहती हूँ तो बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम तथा कानून के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि को 5 प्रतिशत ब्याज सिहत वसूल किया जाए।
	लाभार्थी (वचनकर्ती) के हस्ताक्षर
	<u>सत्यापन</u>
तथा मैं	मैं सत्यापन करती हूँ कि उपरोक्त वचनबद्धता में दिए गए तथ्यों मेरे ज्ञान के अनुसार सही है नें इसमें कुछ भी छुपाया नही है।
	आज दिनांकको(स्थान) सत्यापित किया गया।
	लाभार्थी (वचनकर्ती) के हस्ताक्षर

अनुबन्ध—4 मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिला आवास योजना हेतु अनुदान के लिए प्राप्त व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर

प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पता	पंजीकरण संख्या	पंचायत	विकास खंड	प्रार्थी की वार्षिक आय	मामले की स्वीकृति संख्या / तिथि / राशि	विशेष विवरण यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## अनुबन्ध—5 आवास निर्माण योजना हेतु कार्यपूर्ति—प्रमाण पत्र

मैंपुत्री / विधवापंजीकरण संख्या विकासखंडगांव पंचायतपंचायतविकासखंड	
तहसीलराज्यराज्य प्रमाणित करती हूँ कि मुझे वर्ष मु0राज्य रे अवास अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई थी। मैंने तक का आ कार्यालय से आवास अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई थी। मैंने तक का आ निर्माण कार्य राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्शाए गए खसरा नम्बर में पूर्ण कर दिया है आपसे निवेदन है कि मुझे(पहली/दूसरी/तीसरी व चौथी) किश्त जारी करने की कृपा करें	में के वास अतः
लाभार्थी के हस्त निरीक्षण रिपोर्ट	क्षर
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमित	की कृत वृत वास नेया
श्रम कल्याण अधिव मोहर स	
पृष्ठांकन संख्या दिनांक	
कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी की सेवा में प्रेषित है न निवेदन किया जाता है कि श्रीमतिपुत्री / विधवापंजीकरण संख्या गांवविकासखंड तहसीलजीला राज्यको अनुदान की (प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चौथी) किश्त मु0रूरू की राशि भुगतान करने की करें।	

श्रम कल्याण अधिकारी मोहर सहित

अनुबन्ध—6 मुख्यमन्त्री विधवा, एकल, निराश्रित एवम् दिव्यांग महिला आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों का रजिस्टर

स्वीकृति संख्या दिनांक	प्रार्थी का नाम व पता	लाभार्थी का बैंक खाता संख्या व बैंक शाखा का नाम	कुल स्वीकृत राशि	अनुदान की पहली किश्त जारी करने की तिथि एवं राशि	जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर	अनुदान की दूसरी किश्त जारी करने की तिथि एवं राशि	जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर	अनुदान की तीसरी किश्त जारी करने की तिथि एवं राशि	जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुदान की चौथी किश्त जारी करने की तिथि एवं राशि	जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर	कुल जारी किए गए अनुदान की राशि	जिला श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण
11 12		13 14		15

आदेश द्वारा,

सचिव (श्र.रो. एवं वि.नि.) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

\*\*\*\*